



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 29 सितम्बर, 2025

आश्विन 7, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या 131-आयोग/47-का-4-2024-15-59-84

लखनऊ, 29 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-61

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद-318 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कम्प्यूटर अनुभाग) सेवा विनियमावली, 2009 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कम्प्यूटर अनुभाग) सेवा (प्रथम संशोधन)
विनियमावली, 2025

1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कम्प्यूटर अनुभाग) सेवा (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2025 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, (कम्प्यूटर अनुभाग) सेवा विनियमावली, 2009 (जिसे आगे "उक्त विनियमावली" कहा गया है) में विनियम-5 में क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 को क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित पद के पूर्व निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात:- विनियम 5 का संशोधन

उप सचिव (आईटी)-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सिस्टम एनालिस्ट में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिए पात्र और उपयुक्त व्यक्ति तत्काल उपलब्ध न हों तो उप सचिव (आई0टी0) के पद पर चयन मात्र एक बार के लिए आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जा सकेगा।

विनियम 8 का
संशोधन

3— उक्त विनियमावली में, विनियम 8 में, क्रम संख्या 1, 2, 3 को क्रम संख्या 2, 3, 4 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित पद के पूर्व निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

उप सचिव (आई0टी0)–

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान तथा अभियान्त्रिकी/सूचना प्रौद्योगिकी में एम0ई0/एम0टेक0 के साथ डेटाबेस मैनेजमेंट/डेटा प्रोसेसिंग में 12 वर्ष का अनुभव।

अथवा

डी0ओ0ई0 से “सी” स्तरीय पाठ्यक्रम/किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान तथा अभियान्त्रिकी/सूचना प्रौद्योगिकी में बी0ई0/बी0टेक0 के साथ डेटाबेस मैनेजमेंट/डेटा प्रोसेसिंग में 14 वर्ष का अनुभव।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 के साथ डेटाबेस मैनेजमेंट/डेटा प्रोसेसिंग में 14 वर्ष का अनुभव।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को निम्नानुसार न्यूनतम और अधिकतम आयु प्राप्त कर ली हो;

विनियम 10 का
संशोधन

4— उक्त विनियमावली में, विनियम 10 में, सारणी में, सिस्टम एनालिस्ट पद के ऊपर निम्नलिखित पद और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

आयु—

पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
उप सचिव (आई0टी0)	35	45

विनियम 16 का
संशोधन

5—उक्त विनियमावली में, विनियम 16 में, नीचे स्तम्भ—एक में दिये गये उपनियम (1) के विद्यमान शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ—दो में दिये शीर्षक को रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ—एक

(विद्यमान शीर्षक)

स्तम्भ—दो

(एतद्वारा प्रतिस्थापित शीर्षक)

सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर श्रेणी—1
और प्रोग्रामर श्रेणी—2 के पदों के लिये

उप सचिव (आई0टी0), सिस्टम एनालिस्ट,
प्रोग्रामर श्रेणी—1 और प्रोग्रामर श्रेणी—2 के पदों
के लिये

विनियम 22 का
संशोधन

6—उक्त विनियमावली में, विनियम 22 के उपविनियम (2) में, वेतनमान से संबंधित सारणी में, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 को क्रम संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित क्रम संख्या 2 के पूर्व निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

उप सचिव (आई0टी0)	15600—39100	7600
------------------	-------------	------

आज्ञा से,

एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 131/Aayog/ XLVII-Ka-4-2024-15-59-84 dated September 29, 2025:

No. 131/Aayog/ XLVII-Ka-4-2024-15-59-84

Dated Lucknow, September 29, 2025

IN exercise of the powers under Article 318 of the Constitution of India read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, is pleased to make the following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh Public Service Commission (Computer Section) Service Regulations, 2009.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION (COMPUTER SECTION)
SERVICE (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Public Service Commission (Computer Section) service (First Amendment) Regulations, 2025. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Public Service Commission (Computer Section) Service Regulations, 2009 (herein referred to as the "said regulations") in regulation 5 serial numbers 1, 2, 3, 4, 5 shall be renumbered, as serial numbers 2, 3, 4, 5, 6 and before the post so renumbered the following serial number and entries relating thereto shall be *inserted*, namely:— Amendment of regulation 5

Deputy Secretary (IT)–

By Promotion through the selection committee from amongst substantively appointed system analysts who have completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment:

Provided that if any eligible and suitable person is not immediately available for promotion, then selection to the post of Deputy Secretary (IT) can be done only once by direct recruitment through the commission.

3. In the said regulations, in regulation 8 serial numbers 1, 2, 3 shall be renumbered as serial numbers 2, 3, 4 and before the post so renumbered, the following serial number and entries relating thereto shall be *inserted*, namely :— Amendment of regulation 8

Deputy Secretary (IT)–

M.E./M.Tech. in Computer Science and Engineering/Information Technology from a recognized University/Institution with 12 years' experience in Database Management/Data Processing.

or

'C' level course from D.O.E./B.E./B.Tech. in Computer Science and Engineering/Information Technology from a recognized University/Institution with 14 year's experience in Database Management/Data Processing.

or

M.C.A./M.Sc. in Computer Science / Information Technology from a recognized University/ Institution with 14 year's experience in Database Management / Data Processing.

A candidate for direct recruitment must be within following minimum and maximum age limits on the first day of July of the Calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised;

4. In the said regulations, in regulation 10 in the table above post of System Analyst, the following post and entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely:— Amendment of regulation 10

Age-

Name of Post	Minimum Age	Maximum Age
Deputy Secretary (IT)	35	45

5. In the said regulations, in regulation 16, *for* the existing heading 1 to sub-rule (1) set out in Column-I below, the heading as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:— Amendment of regulation 16

	<u>COLUMN-1</u> (Existing heading)	<u>COLUMN-2</u> (Heading as hereby substituted)
	For the post of System Analyst, Programmer Grade-1 and Programmer Grade-2	For the post of Deputy Secretary (IT), System Analyst, Programmer Grade-1 and Programmer Grade-2
Amendment of regulation 22	6. In the said regulations, in sub-regulation (2) of regulation 22 in the table relating to "Scales of pay", serial numbers 1, 2, 3, 4 and 5 shall be renumbered as serial numbers 2, 3, 4, 5 and 6 and before serial number 2 as so renumbered the following serial number and entries relating thereto shall column-wise be <i>inserted</i> namely :— 1. Deputy Secretary (IT)	
	15600-39100	7600

By order,
 M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.